



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



5 आषाढ़ 1946 (श०)

संख्या - 20 राँची, बुधवार

26 जून, 2024 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 256-281 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	भाग-9 — विज्ञापन ---
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक — ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना**17 मई, 2024**

सं०सं०-3/नि०सं०-09-21/2018 का० 3437--श्री अनिल कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-608/03),
अपर निदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची का दिनांक 05.04.2024 से दिनांक 19.04.2024
तक (कुल 15 दिन) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत
स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।-----
अधिसूचना

6 जून, 2024

संख्या-13/पी2-103/2020-3499--भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी को दिनांक-01.01.2021 के प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा के जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के वेतनमान Level-12 of Pay Matrix में इस शर्त के साथ प्रोन्नति प्रदान की जाती है कि इनको उपलब्ध कराये गये प्रशिक्षण के अगले स्लॉट में इनके द्वारा मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम फेज-III प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाय :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	बैच
1	श्री आनन्द प्रकाश, भा०पु०से०	2012

(ii) उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप पदाधिकारी का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।-----
अधिसूचना

11 जून, 2024

संख्या-13/पी2-102/2021-3590--सी०, श्री प्रवीण पुष्कर, भा०पु०से० (2020), को भारतीय पुलिस को दिनांक-01.01.2024 के प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर टाईम स्केल के वेतनमान-Level-11 of Pay Matrix में प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप श्री पुष्कर का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

12 जून, 2024

संख्या-14/विविध-09/2023-3601--विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 एवं 1938, दिनांक-20.04. 2021 (प्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सम्मानित करने एवं सम्मान पेंशन तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करने हेतु आयोग का गठन एवं नीति निरूपण किया गया है ।

2. आंदोलनकारियों/आश्रितों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए अधिसूचना संख्या-4920, दिनांक-10.08.2015 द्वारा अधिसूचित किया गया।

3. उक्त विभागीय अधिसूचना द्वारा अधिसूचित झारखण्ड आन्दोलनकारी का कंडिका सुधार संबंधी प्रतिवेदन चिन्हितीकरण आयोग के पत्रांक-630, दिनांक-09.04.2024 एवं पत्रांक-669, दिनांक 17.05.2024 द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा बोकारो जिला के निम्न चिन्हित आन्दोलनकारी की कंडिका सुधार पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन चिन्हित आन्दोलनकारी को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी श्रेणी के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी ।

क्र०	चिन्हित आंदोलनकारी का विवरण	संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 के तहत पूर्व का वर्गीकरण	कंडिका संशोधन करने का आधार	संकल्प संख्या-1938 दिनांक-20.04.2021 के तहत वर्तमान का वर्गीकरण
1	श्री बैजु प्रसाद महतो पिता- शम्भु नाथ महतो ग्राम- बालीडीह गोविन्द मार्केट पोस्ट- बालीडीह प्रखण्ड- चास थाना- बालीडीह जिला- बोकारो	अधिसूचना संख्या-4920, दिनांक-10.08.2015 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य) प्रथम सम्पुष्ट सूची क्रमांक-61 एवं अधिसूचना संख्या-5240, दिनांक-20.09.2017 द्वारा संशोधित कण्डिका-3 (क)	बोकारो रेल थाना कांड संख्या-11/89 के दौरान पुलिस द्वारा सिर पर लाठी चार्ज के कारण दृष्टि विकलांगता 45% (पैंतालीस प्रतिशत)	कण्डिका-2 (V) (चिन्हित आंदोलनकारी श्री बैजु प्रसाद महतो के पुत्र श्री कृष्णा कुमार महतो आश्रित के रूप में नामित)

4. उक्त के अनुसार संशोधित कंडिका वाले आंदोलनकारी / आश्रित को विभागीय संकल्प सं०-1938, दिनांक-20.04.2021 के तहत अनुमान्य सुविधा का लाभ दिनांक-20.04.2021 की तिथि से देय होगा।

अनु०-यथोक्त।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

7 जून, 2024

संख्या-14/विविध-19/2023-3516--विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 एवं 1938, दिनांक-20.04.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सम्मानित करने एवं सम्मान पेंशन तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करने हेतु आयोग का गठन एवं नीति निरूपण किया गया है।

2. आंदोलनकारियों/ आश्रितों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए **अधिसूचना संख्या-4920, दिनांक-10.08.2015** द्वारा अधिसूचित किया गया।

3. उक्त विभागीय अधिसूचना द्वारा अधिसूचित झारखण्ड आन्दोलनकारी के देहावसान के पश्चात् उनके हे करने एवं कंडिका सुधार करने संबंधी प्रतिवेदन विन्चितीकरण आयोग के **पत्रांक-631, दिनांक-09.04.2024** द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित चिन्हित आंदोलनकारी (वर्तमान में मृत) के आश्रित को नामित करते हुए कंडिका सुधार पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। चिन्हित आंदोलनकारी /आश्रित को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी श्रेणी के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी।

क्र०	चिन्हित (मृत) आंदोलनकारी का विवरण	संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 के तहत पूर्व का वर्गीकरण	कंडिका संशोधन करने का आधार	संकल्प संख्या-1938 दिनांक-20.04.2021 के तहत वर्तमान का वर्गीकरण
1	नाम- नारायण साहु पिता-स्व० गोपाल साहु ग्राम-गोपीनाथपुर पोस्ट-गोविन्दपुर थाना-राजनगर प्रखण्ड-राजनगर जिला-सरायकेला- खरसावाँ	प्रथम संपुष्ट सूची क्र०-30 काण्ड-गम्हरिया थाना काण्ड सं० 62/93 अधिसूचना सं०-4920, दि०-10.08.2015 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य)	1. स्व० नारायण साहु का मृत्यु प्रमाण पत्र। 2. अंचलाधिकारी, राजनगर के पत्रांक-1179, दिनांक-01.09.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन। 3. अधीक्षक, मण्डल कारा, सरायकेला का पत्रांक-579, दिनांक-10.02.2024 से निर्गत कारा संसीमन प्रमाण पत्र। जेल की अवधि- 01 वर्ष 04 माह 05 दिन	कण्डिका- 2(Viii)(c) सनकुनी देवी को मृत झारखण्ड आंदोलनकारी स्व० नारायण साहु की आश्रित पत्नी नामित किया जाता है।

4. संबंधित उपायुक्त चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी / आश्रित की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा ।

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी / आश्रित को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके ।

6. संशोधित कंडिका वाले आंदोलनकारियों को विभागीय संकल्प सं०-1938, दिनांक-20.04.2021 के तहत अनुमान्य सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-20.04.2021 की तिथि से देय होगा तथा इससे पूर्व की अवधि के लिए विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 के प्रावधानानुसार सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-01.08.2015 की तिथि से देय होगा ।

अनु०-यथोक्त ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

7 जून, 2024

संख्या-14/विविध-15/2024-3517--विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक 07.05.2012 एवं 1938, दिनांक-20.04.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सम्मानित करने एवं सम्मान पेंशन तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करने हेतु आयोग का गठन एवं नीति निरूपण किया गया है।

2. आंदोलनकारियों/ आश्रितों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए **अधिसूचना संख्या-4920, दिनांक-10.08.2015, अधिसूचना संख्या-5275, दिनांक-22.09.2017, अधिसूचना संख्या-1476, दिनांक-27.03.2023 एवं अधिसूचना संख्या-3810, दिनांक-22.08.2023** द्वारा अधिसूचित किया गया।

3. उक्त विभागीय अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित झारखण्ड आन्दोलनकारियों/ आश्रितों का कंडिका सुधार संबंधी प्रतिवेदन चिन्हितीकरण आयोग के **पत्रांक-662, दिनांक-08.05.2024** द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित चिन्हित आंदोलनकारियों/ आश्रितों की कंडिका सुधार पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन चिन्हित आंदोलनकारियों/आश्रितों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी श्रेणी के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी।

क्र०	चिन्हित आंदोलनकारी/आश्रित का विवरण	संकल्प संख्या-2108 दिनांक-07.05.2012 एवं संकल्प संख्या-1938 दिनांक-20.04.21 के तहत पूर्व का वर्गीकरण	कंडिका संशोधन करने का आधार	संकल्प सं०-1938 दिनांक-20.04.21 के तहत वर्तमान का वर्गीकरण
1	आवेदक-केदार नाथ सिंह पिता-हु रो सिंह घुरन सिंह ग्राम-पालमो पोस्ट-खरियोडीह थाना-हिरोडीह प्रखण्ड-राजधनवार जिला :- गिरिडीह	अधिसूचना सं०-3810 दिनांक-22.08.2023 द्वारा आन्दोलनकारी, अधिसूचित कण्डिका-2 (ix)	1. पालोजोरी थाना काण्ड सं०-46/89 से संबंधित न्यायालय आदेश पत्रक। कारा प्रवेश की तिथि-10.06.1989 कारा से मुक्ति की तिथि-14.06.1989 जेल की अवधि-04 दिन।	कण्डिका- 2(Viii)(a)

2	आवेदक :- चुनबा टुइ पिता :- स्व० हाकिम टुइ ग्राम :- सिलगड़िया पोस्ट :- बगदाहा थाना :- खांगा प्रखण्ड :- पालोजोरी जिला :- देवघर	अधिसूचना सं०-1476 दिनांक-27.03.2023 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (ix)	1. पालोजोरी थाना काण्ड सं०-46/89 से संबंधित न्यायालय आदेश पत्रक। कारा प्रवेश की तिथि-10.06.1989 जेल की अवधि-01 दिन।	कण्डिका- 2(Viii)(a)
3	आवेदक :- उज्जवल कुमार मंडल पिता :- स्व० शैलेश चन्द्र मंडल ग्राम :- सारमी पोस्ट:- रामगढ़ थाना :- रामगढ़ प्रखण्ड :- रामगढ़ जिला :- दुमका	अधिसूचना सं०-4920 1. दिनांक-10.08.2015 द्वारा आन्दोलनकारी, अधिसूचित कण्डिका-2 (अन्य)	अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, दुमका का पत्रांक-3191, दिनांक-08.08.2012 से निर्गत कारा संसीमन प्रमाण पत्र। जेल की अवधि-19 दिन ।	कण्डिका- 2(Viii)(a)
4	आवेदक :- सीता सिन्हा (आश्रित पत्नी) पति :- स्व० लक्ष्मण प्रसाद सिन्हा (आन्दोलनकारी) ग्राम :- लखीकुंडी पोस्ट:-गोसाईपाड़ा थाना :- दुमका (मु०) प्रखण्ड :- दुमका जिला :- दुमका	अधिसूचना सं०-5275 दिनांक-22.09.2017 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (अन्य)	1. आवेदन द्वारा दुमका नगर थाना काण्ड सं०-66/89 का सत्यापित कारा संसीमन प्रमाण पत्र आयोग को समर्पित किया गया है, परंतु इनके चिन्हित काण्ड से भिन्न होने के कारण इन्हें पेंशन की कण्डिका प्रदान नहीं की गयी थी। 2. अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, दुमका के प्रतिवेदन के अनुसार कारा संसीमन प्रमाण पत्र में अंकित काण्ड को 66/89 के स्थान पर 77/89 मानते हुए अग्रेतर कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है। 3. जेल की अवधि-12 दिन।	कण्डिका- 2(Viii)(a)

4. संबंधित उपायुक्त चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी / आश्रित की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा।

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी / आश्रित को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके।

6. संशोधित कंडिका वाले आंदोलनकारियों को विभागीय संकल्प सं०-1938, दिनांक-20.04.2021 के तहत अनुमान्य सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-20.04.2021 की तिथि से देय होगा तथा इससे पूर्व की अवधि के लिए विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक 07.05.2012 के प्रावधानानुसार सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-01.08.2015 की तिथि से देय होगा।

अनु०-यथोक्त।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

7 जून, 2024

संख्या-14/विविध-18/2023-3511--विभागीय संकल्प संख्या-1938, दिनांक-20.04.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सम्मानित करने एवं सम्मान पेंशन तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करने हेतु आयोग का गठन एवं नीति निरूपण किया गया है।

2. आंदोलनकारियों/आश्रितों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त छब्बीसवीं संपुष्ट सूची के आलोक में अधिसूचना संख्या-1210, दिनांक-27.02.2024 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए अधिसूचित किया गया है।

3. विभागीय उक्त अधिसूचना द्वारा अधिसूचित कतिपय झारखण्ड आन्दोलनकारियों के देहावसान के पश्चात् उनके आश्रितों को लाभ देने हेतु नामित करने संबंधी प्रस्ताव / प्रतिवेदन झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा

निम्न पूर्व चिन्हित आंदोलनकारियों (वर्तमान में मृत) के आश्रितों को नामित करते हुए लाभ देने पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन चिन्हित आंदोलनकारियों के आश्रितों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनके वर्गीकरण के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी।

क्र०	चिन्हित (मृत) आंदोलनकारी का विवरण	चिन्हितीकरण से संबंधित अधिसूचना	आश्रित नामित करने का आधार	संकल्प संख्या- 1938 दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में आयोग की अनुशंसा
1	नाम- दिलीप महतो पिता-आर० के० महतो उर्फ रजनीकान्त महतो ग्राम-ओल्ड सोनारी पोस्ट-सोनारी थाना-सोनारी प्रखण्ड-जमशेदपुर जिला-पूर्वी सिंहभूम	अधिसूचना सं०- 1210 दि०- 27.02.2024 कण्डिका-2 (viii) (a)	1. अंचलाधिकारी, जमशेदपुर के पत्रांक- 991/2023, दिनांक-01. 12.2023 से निर्गत पारिवारिक सूची प्रमाण पत्र। 2. चिन्हित आन्दोलनकारी दिलीप महतो का मृत्यु प्रमाण पत्र। 3. आश्रित का आधार कार्ड।	लक्ष्मी महतो को मृत झारखण्ड आंदोलनकारी स्व० दिलीप महतो की आश्रित पत्नी नामित किया जाता है।
2	नाम- जमशेद मुर्मू पिता-गोविन्द मुर्मू ग्राम-राजबाँध पोस्ट-राजबाँध थाना-दुमका (मु०) प्रखण्ड-दुमका जिला-दुमका	अधिसूचना सं०- 1210 दि०- 27.02.2024 कण्डिका-2 (viii) (a)	1. अंचलाधिकारी, दुमका सदर के पत्रांक-42, दिनांक-29.02. 2024 से निर्गत वंशावली के आधार पर। 2. चिन्हित आन्दोलनकारी जमशेद मुर्मू का मृत्यु प्रमाण पत्र। 3. आश्रित का आधार कार्ड।	सबेरी हांसदा को मृत झारखण्ड आंदोलनकारी स्व० जमशेद मुर्मू की आश्रित पत्नी नामित किया जाता है।

4. संबंधित उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध नामांकित चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी / आश्रित की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा ।

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी /आश्रित को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके ।

6. उक्त नामित आश्रित को विभागीय संकल्प सं०-1938, दिनांक-20.04.2021 के तहत अनुमान्य सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-20.04.2021 अथवा आंदोलनकारी की मृत्यु की तिथि, जो भी बाद में हो, की तिथि से देय होगा ।

अनु०-यथोक्त ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

14 जून, 2024

पत्र संख्या-05/वि०को0-05/54/2024-3471--माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष लोक अदालत के संबंध में झालसा द्वारा आयोजित pre-conciliation sittings एवं विभाग से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए श्री लखन राम नायक, अवर सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची (Contact No- 9431529685, E-mail ID- jh.home.dept@gmail.com) को नोडल पदाधिकारी घोषित किया जाता है ।

संतोष कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

27 फरवरी, 2024

संख्या-14/विविध-06/2023-1209--विभागीय संकल्प संख्या-1938, दिनांक-20.04.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को चिन्हित करने हेतु आयोग का गठन तथा चिन्हित आंदोलनकारियों / आश्रितों को सम्मान पेंशन एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने हेतु नीति निरूपण किया गया है।

2. आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त उन्नीसवीं संपुष्ट सूची एवं बीसवीं संपुष्ट सूची प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आन्दोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए अधिसूचना संख्या-1476, दिनांक-27.03.2023 द्वारा अधिसूचित किया गया।

3. आयोग के उन्नीसवीं संपुष्ट सूची में कतिपय कारणों से 02 संपुष्ट आंदोलनकारियों को अधिसूचित नहीं किया जा सका। जिन आंदोलनकारियों को अधिसूचित नहीं किया जा सका था, उन 02 आंदोलनकारियों के संबंध में झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के पत्रांक-534, दिनांक-29.01.2024 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। आयोग के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निम्न तालिका के अनुसार चिन्हित आंदोलनकारियों/ आश्रितों की सूची पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन चिन्हित आंदोलनकारियों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी कोटि के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी।

क्र०	आंदोलनकारी की विवरणी	केस सं०/वाद सं० आदि का नाम	झारखण्ड आंदोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आंदोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण एवं चिन्हितीकरण का आधार	संकल्प सं०- 1938 दिनांक- 20.04.21 के तहत वर्तमान का वर्गीकरण
1	आवेदक-रघु गोप, पिता-पारस गोप, ग्राम-हेसालोंग, पोस्ट हेसालोंग, थाना-गिददी ए०, प्रखण्ड-डाडी, जिला-हजारीबाग लिंग-पुरुष	गिददी थाना काण्ड सं०-26/93 जी०आर० सं०- 559/93	नहीं	कारण:- दिनांक 18.03.1993 को झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा- 147, 427, 435	कंडिका 2(viii)(a)

				भा०द०वि० जेल अवधि-40 दिन।	
2	आवेदक-प्यारेलाल बेदिया, पिता-पारसनाथ बेदिया, ग्राम-टोंगी, पोस्ट-हेसालौंग, थाना- गिद्दी ए०, प्रखण्ड-डाडी, जिला - हजारीबाग लिंगपुरुष	गिद्दी थाना काण्ड सं०- 25/93 जी०आर० सं०- 552/93	नहीं	कारण:- दिनांक- 15.03.1993 को झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-147, 148, 149 भा०द०वि० जेल अवधि-01 माह 01 दिन।	कंडिका 2(viii)(a)

4. विभागीय अधिसूचना संख्या-1476, दिनांक-27.03.2023 द्वारा अधिसूचित जिला-हजारीबाग के क्रम सं०-6 एवं 7 को विलोपित किया जाता है ।

5. उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध नामांकित चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी / आश्रित की पहचान करते हुए विभागीय संकल्प सं०-1938, दिनांक-20.04.2021 के तहत अनुमान्य सुविधायें (सम्मान पेंशन/प्रतीक चिन्ह एवं प्रमाण पत्र) प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे ।

6. चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी / आश्रित को अनुमान्य सुविधायें दिनांक-20.04.2021 की तिथि से देय होगा ।

अनु०-यथोक्त ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।-----
अधिसूचना

23 फरवरी, 2024

संख्या-13/एल०-102/2024-1099--डॉ० एहतेशाम वकारिब, भा०पु०से०, पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-18 (B) तहत दिनांक-12.02.2024 से 18.02.2024 तक कुल 07 (सात) दिनों के पितृत्व अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।**गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।**-----
अधिसूचना

5 फरवरी, 2024

1. संख्या-12/पी०-8002/2021-706--गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना सं०-603, दिनांक-30.01.2024 को विलोपित करते हुए श्री राजेन्द्र कुमार दुबे, पुलिस उपाधीक्षक को अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्री जय प्रकाश नारायण चौधरी, पुलिस उपाधीक्षक पूर्ववत अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, गोड्डा के पद पर पदस्थापित रहेंगे ।

2. संख्या-12/पी०-8002/2021-707--गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना सं०-522, दिनांक-30.01.2024 को विलोपित करते हुए श्री भोला प्रसाद सिंह, पुलिस उपाधीक्षक को अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

HOME PRISONS AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

24 JUNE, 2024

Memo No.-10/C.B.I.-418/2024-3835--In exercise of the powers conferred under section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946) H.E. the Governor of Jharkhand has been pleased to accord consent to the extension of powers and jurisdiction to the member of Delhi Special Police Establishment upon request made via letter number 297/CO-10/2024 dated 10.06.2024 of S.P. and Head of Branch, CBI, ACB, Dhanbad for registration of regular case against employee of BCCL., Dhanbad for the offences punishable under section 7 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018) and any other offence that may come to light during investigation of this case, including any attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with one or more such offences and/or any other offences(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

By order of the Governor of Jharkhand,

Umashankar Prasad Pal,
Under Secretary to Government.

भाग 9-ख

निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ, इत्यादि।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RITURAJ KANCHAN अन्य नाम RITURAJ पिता SRI AMIT KANCHAN, शपथ पत्र सं० 952, दिनांक 17 मई, 2024 के अनुसार RITURAJ KANCHAN के नाम से जाना जाऊँगा।

RITURAJ KANCHAN एवं RITURAJ दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - 2ND RIGHT GALI JAIPRAKASH NAGAR,
P.O. & P.S. - BARIATU,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834009
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, FULO GADI अन्य नाम FULLO GARI पति KUMAR ABHIMANYU, शपथ पत्र सं० 813, दिनांक 18 मई, 2024 के अनुसार FULO GADI के नाम से जानी जाऊँगी।

FULO GADI एवं FULLO GARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - SUKURHUTTU,
P.O. - SUKURHUTTU,
P.S. - KANKE, KAHATAR TOLA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834006
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SANTOSH PRASAD GUPTA अन्य नाम SANTOSH PRASAD पिता Late RAMHARI PRASAD SAHU, शपथ पत्र सं० 685, दिनांक 15 मई, 2024 के अनुसार SANTOSH PRASAD GUPTA के नाम से जाना जाऊंगा।

SANTOSH PRASAD GUPTA एवं SANTOSH PRASAD दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - CHURCH ROAD, NEAR OLD LOWER BAZAR THANA,
P.O. - G.P.O.,
P.S. - LOWER BAZAR,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834001
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, KALPANA SINGH, AMAN SINGH (अन्य नाम FARHAN SINGH) की माता, शपथ पत्र सं० 20, दिनांक 13 मई, 2024 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र AMAN SINGH के नाम से जाना जायेगा।

AMAN SINGH एवं FARHAN SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - KISHORE GANJ,
BHARAT MATA CHOWK, GALI NO. - 6,
P.S. - SUKHDEO NAGAR,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SAROJ KUMAR SINGH अन्य नाम PAPPU KUMAR SINGH पिता SWARAJ SINGH, शपथ पत्र सं० 454, दिनांक 12 अप्रैल, 2024 के अनुसार SAROJ KUMAR SINGH के नाम से जाना जाऊँगा ।

SAROJ KUMAR SINGH एवं PAPPU KUMAR SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - ROAD NO. - 5, NEAR NEW LINCIE CLUB CHOWK,
NEW MADHUKAM,
P.O. - HEHAL,
P.S. - SUKHDEONAGAR,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834005
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MANOJ DAS, ARYAN KUMAR (अन्य नाम RISHANK DAS) का पिता, शपथ पत्र सं० 59, दिनांक 15 मई, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र ARYAN KUMAR के नाम से जाना जायेगा ।

ARYAN KUMAR एवं RISHANK DAS दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - CHANDMARI WARD NO. - 12,
P.O. & P.S. - MADHUPUR,
DIST. - DEOGHAR,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SATYENDRA KUMAR GUPTA अन्य नाम SATENDRA PRASAD पिता BISHWANATH PRASAD GUPTA, शपथ पत्र सं० 14, दिनांक 4 मई, 2024 के अनुसार SATYENDRA KUMAR GUPTA के नाम से जाना जाऊँगा।

SATYENDRA KUMAR GUPTA एवं SATENDRA PRASAD दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - H. NO. - 1065, PANCHAYAT SACHIWALAYA LANE,
NEAR PANCHAYAT SACHIWALAYA,
SIDROL TANGAR TOLI, NAMKUM,
P.O. & P.S. - NAMKUM,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834010
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ANGELINA ASHA HANSDAH अन्य नाम ASHA SUREN पति RONALD JAWAHAR HANSHAH, शपथ पत्र सं० 125, दिनांक 24 मई, 2024 के अनुसार ANGELINA ASHA HANSDAH के नाम से जानी जाऊँगी।

ANGELINA ASHA HANSDAH एवं ASHA SUREN दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - PANCHAM NAGAR, DIPPA TOLI,
NEAR RELIANCE FRESH, PUNDAG,
P.S. - PUNDAG,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834004
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BIRSAI ORAON अन्य नाम JAIRAM ORAON पिता Late SOHRAI ORAON, शपथ पत्र सं० 6216/24, दिनांक 20 मई, 2024 के अनुसार BIRSAI ORAON के नाम से जाना जाऊँगा।

BIRSAI ORAON एवं JAIRAM ORAON दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - KARAM TOLI DEVI MANDAP,
P.S. - GUMLA,
DIST. - GUMLA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, INDUMATI TUBID अन्य नाम INDU SAMAD पिता GARDI TUBID, शपथ पत्र सं० 06, दिनांक 8 मई, 2024 के अनुसार INDUMATI TUBID के नाम से जानी जाऊँगी।

INDUMATI TUBID एवं INDU SAMAD दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - HATHIMANDA,
P.O. - PURNAPANI,
P.S. - TONTO,
DIST. - WEST SINGHBHUM,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ANNU BARMAN, VIVAAN RAJ (अन्य नाम ABHINAV BARMAN) का पिता, शपथ पत्र सं० 88, दिनांक 22 जुलाई, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र VIVAAN RAJ के नाम से जाना जायेगा ।

VIVAAN RAJ एवं ABHINAV BARMAN दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - NEW MADHUKAM, DEVI MANDAP ROAD,
ROAD NO. - 5,
P.S. - SUKHDEVNAGAR,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834001
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, LAKSHHYA SINGHEE अन्य नाम SIDHARTH SINGHEE पिता SANJAY KUMAR SINGHEE, शपथ पत्र सं० 89, दिनांक 16 मई, 2024 के अनुसार LAKSHHYA SINGHEE के नाम से जाना जाऊँगा ।

LAKSHHYA SINGHEE एवं SIDHARTH SINGHEE दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - PARAS COMPLEX, BEHIND MILAN PALACE,
1, CLUB ROAD,
RANCHI,
PIN - 834001
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BANO BIBI अन्य नाम BANAIYA BIBI पति SERAJUDDIN ANSARI, शपथ पत्र सं० 23, दिनांक 22 मई, 2024 के अनुसार BANO BIBI के नाम से जानी जाऊँगी।

BANO BIBI एवं BANAIYA BIBI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - MANPUR,
P.O. - RANKA,
P.S. - RANKA,
DIST. - GARHWA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ASHOK KUMAR MAHTO अन्य नाम ASHANK KUMAR MAHATO पिता Late JAGDISH MAHTO, शपथ पत्र सं० 0547, दिनांक 17 फरवरी, 2024 के अनुसार ASHOK KUMAR MAHTO के नाम से जाना जाऊँगा।

ASHOK KUMAR MAHTO एवं ASHANK KUMAR MAHATO दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - TUPUDANA BASTI TUPUDANA,
RANCHI,
PIN - 834003
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RASHMI SAWAIYAN अन्य नाम SAMRITA SAWAIYAN पिता HARICHARAN SAWAIYAN, शपथ पत्र सं० 01, दिनांक 27 अप्रैल, 2024 के अनुसार RASHMI SAWAIYAN के नाम से जानी जाऊँगी।

RASHMI SAWAIYAN एवं SAMRITA SAWAIYAN दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - TILAIJARI,
P.O. - KHERIATANGAR,
P.S. - MANJHARI,
DIST. - WEST SINGHBHUM,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SHILA DEVI अन्य नाम KAUSHALYA DEVI पति RAJENDRA PRASAD YADAV, शपथ पत्र सं० 5964, दिनांक 25 मई, 2024 के अनुसार SHILA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

SHILA DEVI एवं KAUSHALYA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - KHONHAR,
P.O. - BELHARA,
P.S. - GARHWA,
DIST. - GARHWA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MANGLESHWAR ORAON, NEHA KUMARI (अन्य नाम VISHWASI KUMARI) का पिता, शपथ पत्र सं० 4380, दिनांक 3 जून, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री NEHA KUMARI (जन्म तिथि - 29 नवम्बर, 2009) के नाम से जानी जायेगी।

NEHA KUMARI एवं VISHWASI KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - TARAGUTU AMBATOLI,
P.O. - GUNIYA,
P.S. - GHAGHRA,
DIST. - GUMLA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RITIKA CHANDRA अन्य नाम RITIKA AGRAWAL पति ANKIT AGRAWAL, शपथ पत्र सं० 1092, दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 के अनुसार RITIKA CHANDRA के नाम से जानी जाऊँगी।

RITIKA CHANDRA एवं RITIKA AGRAWAL दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - FLAT NO. - 801,
BLOCK - B, AASTHA REGENCY,
PANDRA, HEHAL,
RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ELISH NIMI KHALKHO अन्य नाम NIMI KHALKHO पति THOMAS KHALKHO, शपथ पत्र सं० 1037, दिनांक 22 मई, 2024 के अनुसार ELISH NIMI KHALKHO के नाम से जानी जाऊँगी।

ELISH NIMI KHALKHO एवं NIMI KHALKHO दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - MANDAR,
P.O. & P.S. - MANDAR,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, JANARDAN MAURYA अन्य नाम JANARDAN पिता BHOLA NATH MAURYA, शपथ पत्र सं० 16, दिनांक 5 जून, 2024 के अनुसार JANARDAN MAURYA के नाम से जाना जाऊँगा।

JANARDAN MAURYA एवं JANARDAN दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - 17/C ASHOK NAGAR, ROAD NO. - 1,
P.O. - DORANDA,
P.S. - ARGORA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834002
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SUNIL KUMAR GUPTA अन्य नाम SUNIL KUMAR पिता JAGBANDHU PRASAD, शपथ पत्र सं० 901, दिनांक 14 मई, 2024 के अनुसार SUNIL KUMAR GUPTA के नाम से जाना जाऊँगा।

SUNIL KUMAR GUPTA एवं SUNIL KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - ANANT METALS,
33 NORTH MARKET ROAD, UPPER BAZAR,
P.O. - GPO,
P.S. - KOTWALI,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834001
JHARKHAND
